महत्वपूर्ण

संख्या– 468 / 9–1–22–66सा / 2001

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 05 अप्रैल, 2022

विषयः .प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित केवल सफाई श्रमिकों/कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी दर का निर्धारण विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2076/9–1–14–66सा/2001, दिनांक 09 जून, 2014 एवं शासनादेश संख्या–3513/9–1–14–66सा/2001, दिनांक 21 अगस्त, 2014, पत्र संख्या–3390/9–1–15–66सा/2001 दिनांक 21.11.2015, पत्र संख्या–1671/9–1–19–66सा/2001 दिनांक 25.09.2019, पत्र संख्या–499/9–1–21–66सा/2001 दिनांक 03 मार्च, 2021 एवं उप श्रम आयुक्त के पत्र संख्या–268–76/प्रवर्तन (एम.डब्लू)/15, दिनांक 31.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश दिनांक 09.06.2014 एवं 21.08.2014 द्वारा निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों का पारिश्रमिक रू0 250 से अधिक होने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्राविधानों में निहित शर्तो के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासनादेश दिनांक मार्च, 2021 द्वारा श्रम विभाग के पत्र दिनांक 08.10.2020 के कम में शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 2021 द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों को दैनिक मजदूरी रू0 336.85, प्रतिमाह रू0–8758 निर्धारित की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 31.03.2022 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत नियोजित श्रमिको/कार्मिकों को मूल दरो एवं देय परिवर्तन/मंहगाई भत्ते के किये निर्धारण के कम में नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई

G.O.V.

श्रमिकों/कार्मिकों की प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत निर्धारित की जाती हैः—

क्र.	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक	
			दिनांक 01.010. 2021 से दिनांक 31.03.2022 तक	दिनांक 01.04. 2022 से दिनांक 30.09. 2022 तक	कुल मजदूरी (रू0 में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	3434	3780	9530	366.54

4. उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा उल्लिखित नियोजन के क्रम में संख्या—63 द्वारा ''बुहरने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया—कलाम सम्मिलित नही है।'' को सम्मिलित किया गया है। अतः समय—समय पर निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित कार्मिको के परिवर्तन के संबधं में श्रम विभाग का द्वारा निर्गत शासनादेश, नागर स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिको पर भी स्वतः लागू होंगे।

5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार बढ़ी हुई धनराशि के अनुसार कुल मजदूरी नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों/कार्मिकों को बिना किसी कटौती के भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सर्विस प्रोवाइडर को देय सेवा प्रदाता शुल्क पृथक से दिया जायेगा।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्रम आयुक्त, कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 जी0टी0 रोड, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ।
6. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उ0प्र0।

G0Y

7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी, उ0प्र0)।
8. समस्त नगर विकास विभाग के अनुभाग।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9/वित्त (सामान्य) अनुभाग–2, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
10. बेबसाइट, नगर विकास विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेवसाइट में तत्काल अपलोड करें।

04.04.22

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

G O V

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36–3–2014–07 (न्यू0दे0)/4 दिनांक 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03–2019–931(न्यू0दे0)/06 दिनांक 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001–100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 358 अंकों पर दिनांक 1.4.2022 से दिनांक 30.9.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त– रूपये–5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–358 पर दिनांक 01.4.2022 से दिनांक 30.9.2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

$$\frac{(358-216)}{216} \times 5750 =$$ रु0 3780/–प्रतिमाह

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत हैः–

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में		दिनांक:1.4.2022 से 30.9.2022 तक	
			दिनांक:1.10.2021 से 31.3.2022 तक	दिनांक:1.4.2022 से 30.9.2022 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	3434	3780	9530.00	366.54
2	अर्धकुशल	6325	3777.29	4158	10483	403.19
3	कुशल	7085	4231.16	4658	11743	451.65

नियोजन के नामः–

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकडी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाऐं भी सम्मिलित है।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री)लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य,जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है
26. दुकानों में
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यॉत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैण्डी/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।

एस्बस्टस सीमेन्ट कारखाना और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
1. लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा(सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्ठा उद्योग।
60. ताला उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्व किया-कलाप सम्मिलित नही है।
64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रैवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्ते)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरूष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)
सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या-268-76 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 31/03/2022

प्रतिलिपिः-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराऐं।
2. अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,(वेज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त,(आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट **www.uplabour.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

31.3.2022

(अजय कुमार मिश्रा)
सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।